आज के समय में गणतंत्र की मुख्य भूमिकाएँ

26 जनवरी को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। आज के परिप्रेक्ष्य में, गणतंत्र की भूमिका नागरिकों को समान अधिकार, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है, जहाँ संविधान सर्वोच्च है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भरता के साथ आधुनिक चुनौतियों का सामना करने की नींव रखती है। यह नागरिकों को अपने नेताओं को चुनने और देश के शासन में शामिल होने का अधिकार देता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी के लिए न्याय और अवसर हों.

यह भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन प्रदान करता है। संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य मिले। लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। कानून के शासन की स्थापना हुई, जिससे सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हुआ।

26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की नींव बहुत पहले, 1930 में इसी दिन रखी गई थी। इस दिन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, जिसका अर्थ ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता था। इस महत्वपूर्ण घोषणा ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, क्योंकि यह पूर्ण स्वतंत्रता और स्व-शासन के आधिकारिक आह्वान का प्रतिनिधित्व करता था।

भारत को 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक प्रभुत्व बना रहा। संविधान, एक पूर्ण स्वायत्त राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़, 26 नवंबर, 1949 को अनुमोदित किया गया था। फिर भी, 26 जनवरी, 1950 को इसके कार्यान्वयन की तारीख के रूप में चुना गया था। इस प्रतीकात्मक संरेखण ने एक प्रभुत्व से पूर्ण संप्रभु गणराज्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसने 26 जनवरी को उस दिन के रूप में स्थापित किया जब भारत ने पूरे दिल से अपने लोकतांत्रिक भविष्य को अपनाया।

26 नवंबर 1949 को, संविधान का तीसरा वाचन संपन्न हुआ क्योंकि संविधान सभा ने पिछले चरण में अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। विधानसभा सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान के अंतिम संस्करण पर हस्ताक्षर किए और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो गया।

संविधान ने मूलभूत कानूनी दस्तावेज के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम (1935) का स्थान ले लिया। असेंबली ने 26 जनवरी का चयन करते हुए उस दिन दस्तावेज स्थापित करने का निर्णय लिया जो राष्ट्र के लिए बहुत महत्व रखता है।

वैसे तो 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व बेहद जरूरी है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ अतीत को याद करने से कहीं ज्यादा है। यह संविधान में कायम सिद्धांतों - निष्पक्षता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और एकता - की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। आज भारतीय लोकतंत्र की चल रही यात्रा के उत्सव का दिन है, जो राष्ट्र की सामूहिक भावना और आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब है।

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना जाना कोई आकस्मिक निर्णय नहीं है। यह विशेष तिथि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में बहुत महत्व रखती है, जो आत्मनिर्णय के एक शक्तिशाली प्रतीक और भारतीय लोकतंत्र को रेखांकित करने वाले मूल मूल्यों की निरंतर याद दिलाती है। जैसा कि हम इस दिन को मनाते हैं, आइए न केवल अपने राष्ट्र के विविध ताने-बाने का आनंद लें, बल्कि उन सिद्धांतों के प्रति अपने समर्पण की भी पुष्टि करें जो भारत को एक विशिष्ट और समृद्ध गणराज्य बनाते हैं।

गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड और धूमधाम के दिन से कहीं अधिक है; यह गहन आत्मनिरीक्षण और विचारशील चिंतन का भी समय है। अब संविधान की प्रतिबद्धताओं, असमानता और अन्याय द्वारा प्रस्तुत बाधाओं और इसके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों को बनाए रखने के हमारे साझा कर्तव्य पर विचार करने का समय है। सदियों के आकाश में लहराते राष्ट्रीय ध्वज के चमकीले रंग एक प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें साझा आकांक्षाओं और उन्हें वास्तविकता में बदलने के निरंतर प्रयास की याद दिलाते हैं।

आज के समय में गणतंत्र की मुख्य भूमिकाएँ :

समानता और न्याय की स्थापना : संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना, और कानून के शासन (Rule of Law) को बनाए रखना, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर न हो.

जनता की शक्ति और प्रतिनिधित्व : सत्ता का स्रोत जनता है, और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना. यह सुनिश्चित करना कि सरकार केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए काम करे.

नागरिकों की भागीदारी और उत्तरदायित्व : लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना.

सांस्कृतिक विरासत और विविधता का संरक्षण : देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का सम्मान और उत्सव मनाना, साथ ही भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना.

सतत विकास और आत्मनिर्भरता : गरीबी, बेरोजगारी जैसी चुनौतियों के बावजूद, सभी के लिए विकास के अवसर पैदा करना और देश को आर्थिक व वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना.

आधुनिक चुनौतियों का समाधान : नई तकनीकों (जैसे AI) का उपयोग कर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में प्रगति करना, और बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाना.

संस्थागत स्थिरता : शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) और संस्थागत ढांचे के माध्यम से सरकार में स्थिरता बनाए रखना, जैसा कि संवैधानिक गणतंत्र में होता है.

संक्षेप में, गणतंत्र की भूमिका सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो नागरिकों को सशक्त बनाती है, विविधता का सम्मान करती है और भविष्य के लिए एक मजबूत, न्यायपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करती है.

गणतंत्र की स्थापना का महत्व : यह भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन प्रदान करता है । संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य मिले।लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। कानून के शासन की स्थापना हुई, जिससे सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हुआ। भारत एक संघीय ढांचे वाला देश बना, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकार स्पष्ट किए गए। इस प्रकार, गणतंत्र की स्थापना ने भारत को एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और न्यायसंगत देश बनाया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना वास्तव में आध्यात्मिकरण के संवर्धन का परिचायक है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि देश के हरेक नागरिक को सामाजिक समानता का अवसर एवं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता हासिल हो। गणतंत्र की सार्थकता भी तभी उजागर होती है, जब अपने अधिकारों के साथ-साथ हरेक नागरिक को अपने कर्तव्यों का बोध भी बराबर बना रहे। हरेक व्यक्ति को संप्रदाय, जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्राप्त हों यह गणतंत्र की खासियत है तो कड़ाके की ठंड में सड़कों और चौराहों पर ठिठुरते श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों, भीख मांगते बच्चों, महिलाओं और हाथ फैलाते बुजर्गों के प्रति सभी देशवासियों के हृदय में करुणा का भाव उमड़े। दिल में यथायोग्य उनकी सेवा-शुश्रूषा की कर्तव्य परायणता का बोध पैदा हो तब गणतंत्र दिवस की खूबसूरती का गरिमापूर्ण प्रकटीकरण स्वाभाविक-तौर पर दिखाई देता है।

ऋषियों ने भी भारतीय गणतंत्र के संदर्भ में आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को ही महत्व दिया है। इसलिए भारतीय गणतंत्रात्मक व्यवस्था को विश्वधर में उत्कृष्ट माना जाता है। भारतीय गणतंत्र के मूलभाव को गहराई से समझने पर ज्ञात होता है कि हमारी गणतंत्रीय व्यवस्था तमाम तरह के वाह्य धार्मिक आडंबरों से मुक्त है, उसमें मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण जड़-चेतन का मयादित समन्वय किया गया है। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तावना के प्रारूप पर चर्चा के दरम्यान कुछ नीति-निर्धारकों ने जब यह संशोधन प्रस्ताव रखा कि प्रस्ताव की शुरुआत ईश्वर के नाम पर होनी चाहिए तो डॉ. राजेंद्र प्रसाद जो स्वयं एक धर्मपरायण हिंदू थे, उन्होंने इस प्रस्ताव का खंडन करते हुए कहा कि 'आस्था' एक निजी तत्व है जिसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। वास्तव में अध्यात्म कोई विचारधारा नहीं, यह तो आत्मिक स्तर पर घटित होने वाला सत्य है जिसका मतलब है- सर्व आशा मम मित्रं, यानी चराचर जगत का संपूर्ण अस्तित्व और दिशाएं मेरी मित्र हैं और सभी के प्रति मेरा मैत्रीभाव है।

भारतीय गणतंत्र भेदभाव की दीवार को सिरे से धराशायी करने में विश्वास रखता है। गीता में भी योगेश्वर कहते हैं, 'न कोई मेरा है, न कोई तेरा है, तेरे-मेरे की भावना दिल से निकाल दो, विचार से हटा दो फिर सब तुम्हारे और तुम सबके हो।' यही हमारे गणतंत्र का सर्वात्मभाव है। हमारे गणतंत्र का कण-कण परमसत्ता की व्यापकता को सिद्ध करता है। हमारी गणतंत्रात्मक प्रणाली गीता के सिद्धांत, अपनी आत्मा के उत्थान के साथ ही विश्व के कल्याण करने में विश्वास व्यक्त करती है। सदियों से 'सर्वे भवंतु सुखिनः' हमारा आदर्श रहा है? यानी कि हमारे देश के हरेक नागरिक का भाव होना चाहिए- किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाना। ऐसा व्यवहार जो हमें खुद प्रिय नहीं है, दूसरों के साथ कदापि नहीं करना चाहिए।' यही तो असली गणतंत्र है।

संविधान की मुख्य बातें : कुल संशोधनः 106 (जुलाई 2025 तक)। पहला संशोधनः 1951 में हुआ था। नवीनतम संशोधन (106वां): सितंबर 2023 में, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया। संशोधन प्रक्रियाः संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संसद में बिल के रूप में प्रस्ताव आता है, जिसे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, या विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पारित किया जाता है.

कुछ महत्वपूर्ण संशोधन : 42वां संशोधन (1976): इसे 'लघु संविधान' भी कहते हैं क्योंकि इसने कई बड़े बदलाव किए। 103वां संशोधनः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। 104वां संशोधन : लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए सीटों को खत्म किया।

संविधान में ये बदलाव भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास को दर्शाते हैं।

भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन समय के साथ हुए संशोधनों के कारण अब इनकी संख्या बढ़कर लगभग 470 (या 448, गिनती के तरीके पर निर्भर करता है) हो गई है, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद (धाराएं) थीं, जो अब संशोधनों के बाद लगभग 470 (या 448, स्रोत के अनुसार) अनुच्छेदों में हैं, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में बंटे हैं; यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसमें समय-समय पर कई संशोधन (106 से अधिक) हुए हैं।

भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन संशोधनों के बाद अब इसमें 25 भाग हैं (कुछ उप-भागों को जोड़ा गया है, जैसे IXA, IXB, और XIVA), जो इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाते हैं, जिसमें वर्तमान में लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

भारतीय संविधान में अलग से 'भाग 23, 24, और 25' के नाम से कोई अध्याय नहीं है, बल्कि संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे और संशोधनों के बाद अब कुल 25 भाग हैं, जिनमें से भाग 23 (Part XXIII) में 'विशेष प्रावधान' (Special Provisions) और भाग 24 (Part XXIV) में 'अधिकरण' (Tribunals) तथा भाग 25 (Part XXV) में 'अन्य प्रावधान' जैसे विषय हैं, लेकिन ये अतिरिक्त भाग हैं जो मौजूदा भागों (जैसे IX, IX-A, IX-B, XIV-A) को जोड़ने से बने हैं, और '23, 24, 25' सामान्यतः मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों (23-24 शोषण के विरुद्ध, 25 धार्मिक स्वतंत्रता) के संदर्भ में पूछे जाते हैं, जो भाग III (मौलिक अधिकार) के अंतर्गत आते हैं।

भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 और दुनिया भर के विभिन्न देशों के संविधान (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा) और संविधान सभा की बहसें हैं, जिनसे मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, निदेशक सिद्धांत और अन्य लोकतांत्रिक प्रावधान लिए गए हैं, जो इसे एक अनोखा और समावेशी दस्तावेज बनाते हैं।

भारतीय संविधान में छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और गरिमा की रक्षा करते हैं, जिनमें समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28), संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30), और संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) शामिल हैं, जो संविधान के भाग III में वर्णित हैं और न्यायसंगत, यद्यपि असीमित नहीं हैं, तथा इनके उल्लंघन पर अदालत जाने का अधिकार है।

डॉ.घनश्याम ठाकुर, इंदौर

सेवा को जीवन और जीवन को सेवा मानने वाले : सी. एल. मीना

आज के समय में जब सफलता को पद, पैसा और व्यक्तिगत उपलब्धियों से मापा जाता है, ऐसे दौर में सी. एल. मीना जैसे व्यक्तित्व यह साबित करते हैं कि जीवन की वास्तविक सार्थकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने में है। राजस्थान के दौसा जिले के कालाखोह गाँव में एक किसान परिवार में जन्मे सी. एल. मीना का जन्म वर्ष 1978 में हुआ। साधारण ग्रामीण परिवेश, सीमित संसाधन और श्रम-संस्कृति में पले-बढ़े मीना ने जीवन के आरंभ में यह समझ लिया था कि शिक्षा और सेवा—दोनों मिलकर ही मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं।

वे तीन भाइयों में सबसे छोटे हैं, किंतु जिम्मेदारियों के निर्वहन में कभी छोटे नहीं रहे। उनके बड़े भाई दिल्ली में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में सफदरजंग एयरपोर्ट के निदेशक हैं। उनके परिवार में दो बेटे हैं—एक आईटी इंजीनियर और दूसरा सीपीडब्ल्यूडी में कार्यरत—तथा एक बेटी डॉक्टर है। उनसे छोटे भाई बाबूलाल मीना दौसा में उपतहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। उनके दो बेटियाँ हैं, जिनमें से एक ऑडिटर है, तथा एक बेटा है। तीनों भाइयों के बीच आपसी सहयोग, विश्वास और आत्मीयता जीवन की हर चुनौती में ढाल बनकर खड़ी रही है।

सी. एल. मीना की शिक्षा-यात्रा असाधारण है। उन्होंने बी.ए. (ऑनर्स), एम.ए. (हिंदी), एम.ए. (भूगोल), बी.एड., इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, आईटीआई, डीसीए, पत्रकारिता में स्नातक (BJMC), समाज सेवा में स्नातकोत्तर (MSW) सहित कुल 11 शैक्षणिक योग्यताएँ अर्जित कीं। यह उपलब्धि केवल डिग्रियों की संख्या नहीं, बल्कि सीखते रहने की उनकी जिद और आत्म-अनुशासन का प्रमाण है।

जनवरी 2008 में एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने लगभग तेरह वर्षों तक जयपुर एयरपोर्ट पर सेवाएँ दीं। 11 अक्टूबर 2024 को उन्होंने किशनगढ़ एयरपोर्ट में अधीक्षक के पद पर कार्यभार संभाला। अपनी व्यस्त सरकारी सेवा के बावजूद उन्होंने सामाजिक दायित्वों को कभी पीछे नहीं छोड़ा यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है।

सी. एल. मीना ने देश के 13 राज्यों में साइकिल से लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा कर 'स्वच्छ भारत, हरित भारत,पर्यावरण बचाओ' का संदेश जन-जन तक पहुँचाया। यह अभियान एक सतत जन-जागरूकता यात्रा थी, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और गाँवों में बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया गया।

उनकी सामाजिक सेवा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और मानवीय है। उन्होंने अपने आसपास की आठ सरकारी विद्यालयों को गोद लेकर वहाँ पढ़ने वाले 543 गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा, कपड़े, स्टेशनरी और आवश्यक सामग्री की जिम्मेदारी निभाई। सरकारी विद्यालयों के टॉपर विद्यार्थियों को निःशुल्क हवाई यात्रा कराकर पढ़ाई के प्रति आत्मविश्वास और सपनों को पंख देना उनका अभिनव प्रयास है। गरीब बच्चियों की शादी में सहयोग, 'नेकी की दीवार' के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों को सर्दी के कपड़े बाँटना और नियमित सामाजिक आयोजनों का संचालन ये सभी कार्य उनके मौन कर्मयोग को दर्शाते हैं।

उनका पारिवारिक जीवन भी त्याग, करुणा और उत्तरदायित्व की मिसाल है। उनके अपने दो बच्चे हैं, किंतु उनकी कोई बेटी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने तीन अनाथ बच्चियों को पिछले तेरह वर्षों से अपने परिवार का हिस्सा बनाकर पाला जिनमे एक यादव समाज की और दो मीना समाज की बेटियाँ हैं जिनके माता-पिता या कोई सहारा नहीं था। इनमें से एक बच्ची की शादी हो चुकी है, उसका एक छोटा बच्चा है और दामाद पुणे स्थित याजिका कंपनी में इंजीनियर है। शेष दो बच्चियाँ अध्ययन की तैयारी कर रही हैं। यह संबंध रक्त से नहीं, बल्कि करुणा और जिम्मेदारी से बने हैं।

वर्ष 2022 में पिता की गंभीर बीमारी के कारण बड़े बेटे की जल्दी शादी करनी पड़ी। उसी वर्ष दिसंबर 2022 में पिता का देहांत हो गया। आज उनकी 85 वर्षीय वृद्ध माँ जयपुर में उनके साथ रहती हैं। वे गाँव छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए खेती-बाड़ी और घर की जिम्मेदारी माली समाज के परिवार द्वारा संभाली जाती है, जबकि वे स्वयं साप्ताहिक रूप से गाँव जाकर व्यवस्थाओं को देखते हैं।

उन्होंने अपनी जीवनचर्या को इस प्रकार अनुशासित किया है कि चार से पाँच घंटे की नींद में ही स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखते हुए निरंतर कर्मरत रहते हैं। भाइयों का भरपूर सहयोग उन्हें अथाह हौसला देता है। घर में सबसे छोटे होने के बावजूद उन्होंने हर स्तर पर पूरी निष्ठा से निभाया।

सी. एल. मीना अपनी आय का लगभग 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा सीधे सेवा कार्यों में खर्च करते हैं। वे मंदिर या मस्जिद में चंदा देने की बजाय जरूरतमंद इंसान की सहायता को ही सच्ची इबादत मानते हैं। उनके लिए ईश्वर का आशीर्वाद सेवा में है, दिखावे में नहीं।

उनके कार्यों के लिए उन्हें समाज का गौरव-2025, कलाम गौरव अवार्ड, देवनागरी पथिक सम्मान-2025, बेस्ट एजुकेशन सर्विस अवॉर्ड-2025, भारत गौरव रत्न सम्मान-2025 सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। किंतु उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह संतोष है, जो किसी बच्चे की मुस्कान या किसी असहाय के आत्मसम्मान में दिखाई देता है।

उनका जीवन-स्वप्न आज भी सादा और स्पष्ट है। उनका सपना है दौसा-जयपुर के आसपास या अपने पैतृक गाँव की भूमि पर अनाथ और वृद्ध आश्रम की स्थापना कर, शेष जीवन दीन-हीन और असहाय लोगों की सेवा में अर्पित करना।

यही उनकी साधना है, यही उनका संकल्प, और यही वे अपने जीवन का सत्य मानते हैं!!

डॉ राजेंद्र यादव (आजाद) दौसा राजस्थान
मोबाइल 94 14 27 1288

क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल कमजोर देशों के लिए है?

विश्व व्यवस्था का आधार यह मान्यता है कि सभी राष्ट्र–छोटे हों या बड़े–संप्रभु, समान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और मानवीय कानून इसी सिद्धांत पर टिके हैं। किंतु जब कोई महाशक्ति स्वयं को इन नियमों से ऊपर मानने लगे, तब प्रश्न उठता है–क्या कानून केवल कमजोर देशों को नियंत्रित करने का औजार बनकर रह गया है?

अमेरिका की विदेश नीति लंबे समय से इस प्रश्न को जन्म देती रही है। 'लोकतंत्र की रक्षा', 'मानवाधिकार' और 'आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई' जैसे शब्द बार-बार ऐसे सैन्य और राजनीतिक हस्तक्षेपों को वैध ठहराने के लिए प्रयुक्त किए गए, जिनका संयुक्त राष्ट्र की अनुमति, अंतर्राष्ट्रीय सहमति या स्पष्ट कानूनी आधार प्रायः अनुपस्थित रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि कई राष्ट्र राजनीतिक अस्थिरता, गृह संघर्ष और आर्थिक पतन के गर्त में धकेल दिए गए।

अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है–किसी भी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप निषिद्ध है। इसके बावजूद कमजोर, अविकसित और संसाधन-समृद्ध देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव डालकर सत्ता परिवर्तन, आर्थिक नियंत्रण या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की नीति अपनाई जाती रही है। अफगानिस्तान इसका ताजा उदाहरण है, जहाँ वर्षों की सैन्य मौजूदगी के बाद अमेरिका पीछे हटा, किंतु देश को अस्थिरता और मानवीय संकट के बीच छोड़ दिया गया।

यह व्यवहार यह संकेत देता है कि वैश्विक शक्ति का प्रयोग नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मोड़ने के लिए किया जा रहा है। जहाँ सहयोग अपेक्षित था, वहाँ दबाव दिखा; जहाँ संरक्षण की आवश्यकता थी, वहाँ शोषण हुआ। यह 'बड़ा भाई' की भूमिका नहीं, बल्कि आधुनिक साम्राज्यवाद का रूप है, जिसमें बंदूक, प्रतिबंध और कूटनीति–तीनों का प्रयोग समानांतर होता है।

इस नीति का सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि इससे वैश्विक अराजकता को वैधता मिलती है। जब एक शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी करता है, तो अन्य देशों को भी यही संदेश जाता है कि शक्ति ही अंतिम सत्य है। परिणामस्वरूप, नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था कमजोर पड़ती है और टकराव की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

चिंता की बात यह भी है कि ऐसी वैश्विक राजनीति का असर भारत जैसे संप्रभु लोकतंत्रों में भी परोक्ष रूप से दिखने लगता है। कभी लोकतंत्र के खतरे का शोर, कभी संविधान या अल्पसंख्यकों के नाम पर भय का वातावरण–इन सबके माध्यम से समाज में राजनीतिक अस्थिरता और वैचारिक विभाजन पैदा करने के प्रयास होते हैं। असहमति लोकतंत्र का मूल तत्व है, किंतु असहमति के नाम पर अव्यवस्था फैलाना संवैधानिक नहीं है।

भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, परंतु साथ ही राष्ट्र की एकता, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के शासन को सर्वोपरि मानता है। भारत का लोकतंत्र किसी विदेशी शक्ति की टिप्पणी या प्रमाणपत्र से वैध नहीं होता। उसकी शक्ति संविधान, संस्थाओं और नागरिकों की विवेकशीलता से आती है।

आज विश्व को किसी स्वयंभू सर्वशक्तिमान की नहीं, बल्कि नियम-आधारित, न्यायपूर्ण और संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है। इतिहास साक्षी है कि जो राष्ट्र केवल शक्ति के बल पर विश्व को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वे अंततः नैतिक विश्वसनीयता और वैश्विक समर्थन दोनों खो बैठते हैं।

प्रश्न केवल अमेरिका की नीति का नहीं है; प्रश्न यह है कि क्या दुनिया कानून से चलेगी या ताकत से? यदि उत्तर ताकत है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल एक औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाएगा–और उसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ेगी।

आपने अपनी सोने की लंका,बहुत ही मेहनत,परिश्रम, संघर्ष आदि हर प्रकार से खुद ने पूर्ण व सक्षम बनाई है, निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं।

किंतु किसी ने घास -पुस से छोटा सा संसार बसाया है, इसमें आग लगाने का प्रयास न करें। क्योंकि धन -बल का अहंकार करने वाले महाबलशाली की सोने लंका भी वक्त आने पर आग से नष्ट हो जाती है - केसर

कल्याण सिंह राजपूत 'केसर' देहरिया साहू